

सर्वे करने वाले का नाम पद हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन एवं अनुबंध पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (संचार/संधार)
संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

महोदय,

मैं पिता का नाम श्री

निवेदन करता हूँ कि, मुझे निम्न वर्णित परिसर में जो स्वामित्व में है/झुग्गी झोपड़ी में जिसका कि मुझे राज्य सरकार स्थायी पट्टा दिया गया है जिसका मकान पट्टा क्रमांक है, बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किया जाए।

1. मैं स्वीकार करता हूँ कि, उक्त परिसर/झुग्गी झोपड़ी में विद्युत मण्डल द्वारा दिये गये बी.पी.एल. कनेक्शन बोर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करूंगा तथा इसका उपयोग केवल निर्धारित वॉट के बल्व/सी.एफ.एल. जलाने के लिए करूंगा।
2. मैं स्वीकार करता हूँ कि विद्युत कनेक्शन देते समय मण्डल द्वारा लगाया गया बल्व/सी.एफ.एल. के फ्यूज होने पर अथवा दूर जाने पर बाद मैं स्वयं के रूपये पर उसी क्षमता का बल्व लगाऊंगा।
3. यदि मेरे द्वारा बी.पी.एल. कनेक्शन पर निर्धारित लोड 120 वॉट या खपत 30 यूनिट प्रतिमाह से बढ़ जाने पर मैं प्रतिमाह विद्युत परिवर्तन किया जायेगा वह मुझे मान्य होगा।
4. मैं स्वीकार करता हूँ कि, उपरोक्त क्रमांक 3 में उल्लेख अनुसार मेरे द्वारा प्रतिमाह विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित विद्युत प्रभार का नियमित रूप से भुगतान समय पर न किये जाने पर या मेरे द्वारा अन्य उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन कि जाने पर मण्डल को यह अधिकार होगा कि उक्त परिसर झुग्गी-झोपड़ी का विद्युत कनेक्शन काट दें।
5. बी.पी.एल. कनेक्शन प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
6. स्थान का विवरण :-
 1. पट्टा/मकान नंबर :
 2. मार्ग/सड़क :
 3. ग्राम का नाम :
 4. टेलीफोन/मोबाईल नंबर :
 5. पट्टाधारी झोपड़ी/झोपड़ी मकान के स्वामी का नाम व पता :
6. जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी सूची में सरल क्रमांक पर दर्ज है।

गवाहों के हस्ताक्षर :-

1.
2.

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर